S38 1 15/2/11

No.I.12013/13/2009-Org
Directorate General, ITBP
MHA/Government of India
Block-II, CGO Complex,
Lodhi Road, New Delhi-110 003.

Dated: Sebruaryr, 2011.

Memorandum

Subject: Notification of Indo-Tibetan Border Police Force, Telecommunication Cadre (Group 'B' and 'C' Posts) Recruitment Rules, 2010.

A copy of Indo-Tibetan Border Police Force, Telecommunication Cadre (Group 'B' and 'C' Posts) Recruitment Rules, 2010 after having been published in the Gazette of India, Extraordinary vide GSR 1019 (E) dated 28-12-2010 is sent herewith for information and necessary action at your end please.

2. All IsG (Frontier HQ) are requested to kindly circulate a copy of above notifications to all Units, Sector HQs and Training Centers under their ops/administrative control.

Encl: As above.

(R.K. Sah)

Dy Inspector General(Org)

To

- 1. All Inspectors General (Frontier HQ)/ IG (Training), ITB Police.
- 2. Director, ITBP Academy, Mussoorie.
- 3. DIG, CIJW/NITSRDR/NTCD & A, ITB Police.
- 4. Commandants B.H. Delhi/ Composite Hospital Chandigarh and Itanagar.
- 5. Sh. Jagmal Singh, Supdt.(Leg-I), Ministry of Law, Govt. of India, 7th Floor, Shastri Bhawan, New Delhi with a copy of above notification for favour of information please.

Internal:

- 1. Dy. Inspector General/JAG, Dte Genl, ITB Police.
- 2. Dy. Inspector General (Training), Dte Genl, ITB Police.
- 3. Şenior Administrative Officer (Estt.), Dte Genl, ITBP
- 4. Second-in-Command, Recruitment Cell, Dte Genl, ITBP.
- 5. Dy. Commandant (IT), Dte Genl. with the request to upload above notification in MHA/ITBP website.

HRAA ASUNA Che Gazette of India

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 706]

नई दिल्ली, मंगलवार, दिसम्बर 28, 2010/पौष 7, 1932

No. 706

NEW DELHI, TUESDAY, DECEMBER 28, 2010/PAUSHA 7, 1932

गृह मंत्रालय अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 दिसम्बर, 2010

सा.का.नि. 1019(अ).—केन्द्रीय सरकार, भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल अधिनियम, 1992 (1992 का 35) की धारा 156 की उप-धारा (2) के खंड (ख) और उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शिक्तयों का प्रयोग करते हुए,और भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल दूरसंचार काडर (समृह 'क' और समूह 'ख' पद) भर्ती नियम, 1999 को, जहां तक उसका संबंध निर्गक्षक (रेडियो आपरेटर) और निरोक्षक (रेडियो तकनीकी) के पदों से है भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल के दूरसंचार काडर में समृह 'ग' भर्ती नियम, 1999 को और भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल इलैक्ट्रोनिक आंकडे प्रसंस्करण काडर (समृह 'ग' पद) भर्ती नियम, 1999 को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल में दूरसंचार काडर में समृह 'ख' और समृह 'ग' के पदों पर भर्ती की पद्धित का विनियमन करने के लिये निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात :—

- । **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल दूरसंचार काडर (समूह 'ख' और 'ग' पद) भर्ती नियम, 2010 है।
 - (2) ये राजपंत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।
 - 2. लागू होनाः ये नियम इससे उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (1) में विनिर्दिग्ट पदों को लागू होंगे !
- 3. **पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतन बैंड और ग्रेड वेतन/वेतनमान.**—उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण वेतनमान वह होंगे, जो पुत्रोक्त अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।
- 4. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, और अन्य अर्हताएँ, आदि.—उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएँ और उनसे संवंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (14) में विनिर्दिष्ट हैं।
 - 5. निरर्हता :--वह व्यक्ति,---
 - (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है: या
- (ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकगी।

- 6. चिकित्सक दृष्टया योग्यता: इन नियमों में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, केवल वे व्यक्ति जो अर्थ सैनिक बलें। के चिकित्सा देख-रेख पद्धति में यथाविनिर्दिष्ट चिकित्सा प्रवर्ग शेप-। में है इन नियमों के उपबंधों के अधीन प्रोन्नित और नियुक्ति के लिये पात्र होंगे।
- 7. शिथिल करने की शक्ति.—जहाँ केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहाँ वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।
- 8. व्यावृत्ति.—इन नियमों की कोई बात ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

•	•	अनु	पूची			
पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन वैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान	चयन पद अथवा अचयन पद	सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं।	सीधे मतीं किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु—सीमा
	(0)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
(1) 1. निरीक्षक (दूरसंचार)	(2) 268 (2010)* * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख', (अराजपत्रित),	वेतन बैंड-2 9300-34800 रू0 + ग्रेड वेतन - 4600/-	चयन	लागू नहीं होता।	लागू नही होता।
	रना सकता है।	अननुसचिवीय	₹50		ने परीवीक्षा की	 अवधि, यदि
सीधं भती वि	कए जान वाल व्या अन्य अर्हताएं	क्तयों के लिए अपी	वाले व्यक्ति विहित शैक्षिक अ व्यक्तियों	त्तयों के लि आयु औ ईताएं प्रोन्न की दशा ो या नहीं।	र त में	
	(8)			(9)		10)
लागू नही ह			लागू न	नही होता।	<u> </u>	वर्ष
	व्यक्ति : धर्मी सीधे	होगी या प्रोन्न्ति द्रतियों द्वारा भरी ज	द्वारा प्रतिनियुग् गाने वाली रिक्ति	था का क्ष रि	त्रनसे प्रोन तिनियुक्ति/आमेल गएगा।	नति या न किया
		(11)			(12)
प्रोन्नित द्वा	रा, जिसके न हो र	नकने पर प्रतिनियुवि	त्त द्वारा।	भ ऐ हि इ इ १	ोन्नित द्वाराः गरत तिब्बत सीमा से उपनिरीक्षक(द् जेन्होंने उस श्रेणी नेयमित सेवा की है ग्रारा विहित ग्रिक्षण / पाठ्यकम् शर्हित हों। टेप्पण 1 :— दूरसंचार) की ब लेये प्रात्रता शर्त	(रसंचार) में से में पांच वर्ष की है और जो विभाग पूर्व प्रोन्नति सफलतापूर्वक उप निरीक्षक ावत प्रोन्नति के

अधिसूचना की तारीख को नियमित आधार पर सदृश पदधारण किये हुए हैं, निरंतर तीन वर्ष की सेवा जारी रहेगी।

टिप्पण 2 :- जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहां उनसे ज्येष्ट व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने कनिष्ट व्यक्तियों सहित. जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए परिवीक्षा की सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

टिप्पण 3 — प्रोन्नित के लिये न्यूनतम अहर्क सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 01/01/2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को, आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी।

प्रतिनियुक्ति द्वारा : केन्द्रीय सरकार के अन्य मंत्रालयों या विभागों या केन्द्रीय पुलिस संगठनों के ऐसे कार्मिक जो सदृश पद धारण किए हुए हैं और जिनके पास रेडियोग्राफी या रेडियो तकनीकी या किप्टोग्राफी या ीजलेखा और इलैक्ट्रानिक

आंकड़ा प्रसंस्करण कार्य का अनुभव है।

टिप्पण 1 :ऐसे विभागीय पदधारी, जो प्रोन्नित की सीधी पंक्ति में है, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्ति व्यक्ति प्रोन्नित द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।

टिप्पण 2:प्रितिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रितिनयुक्ति की अवधि है, साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा, आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 52 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण 3:— प्रतिनियुक्ति/आमेलन के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के निये किसी अधिकारी द्वारा 01/01/2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा की, आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी।

भूतपूर्व सैनिकों के लिए प्रतिनियुक्ति / पुनर्नियोजन — सशस्त्र बल के ऐसे कार्मिकों के संबंध में भी विचार किया जाएगा जो एक वर्ष की अवधि के भीतर नेवानिवृत्त होने वाले हैं या रिर्जव में स्थानांतरित किए जाने वाले हैं और जिनके पास अपेक्षित अनुभव और

	विहित अर्हताएं हैं। ऐसे व्यक्तियों को उस तारीख तक प्रतिनियुक्ति के निबंधनों पर रखा जाएगा जिस तारीख से उन्हें सशस्त्र बल से
	निर्मुक्त किया जाना है; तत्पश्चात उन्हें पुनर्नियोजन पर बने रहने दिया जा सकता है।
यदि विभागीय प्रोन्निति समिति है, तो उनकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श
(13) समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने वे जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :	किया जाएगा। (14) हे लिए) लागू नहीं होता।
(2) उप महानिरीक्षक, भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल — र (3) कमांडेंट या सेकेन्ड इन कमान्ड, भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल — र (3) उप क्यांनेंट (क्यांनार) स्व	अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2.	860	साधारण	वेतन बैंड-2	चयन।	लागू नही	20 से 25 वर्षों के
उपनिरीक्षक	(2010)*	केन्द्रीय सेवा,	9300-34800 रू0 +		होता ।	बीच
(दूरसंचार)		समूह 'ख',	ग्रेड वेतन			केन्द्रीय सरकार
	* कार्यभार	_	4200 ∕ — ₹५०			द्वारा जारी किए
	के आधार	(अराजपत्रित),	, ,			गए अनुदेशों या
	पर परिवर्तन	अननुसचिवीय				आदेशों के अनुसार
	किया जा					सरकारी सेवकों के
	सकता है।				•	लिये 5 वर्ष तक
					•	शिथिल की जा
}]	·				सकती है।
		İ	,			टिप्पण :
l						आयु—सीमा
	İ	.				अवधारित करने के
	ļ				:	लिये निणार्यक
•				ļ		तारीख भारत में
			i		,	अभ्यर्थियों के
						आवेदन प्राप्त करने के लिये
						नियतं की गई अंतिम तारीख
	ļ	İ		1		होगी (नकि वह
				1	,	अंतिम तारीख जो
		ļ				असम, मेघालय,

(THE GAZET	TE OF INDIA : EXTRAO	KDINAKT	[PART II BEC. 5(5)]
6				अरूणाचल प्रदेश,
			 - 	मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा,
				सिक्किम, जम्मू व कश्मीर राज्य के
				लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और
				स्पीती जिले तथा
				पांगी उपखंड, अंदमान और
		u	·	निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के
				अभ्यर्थियों के लिये विहित की गई है)
	(8)		(9)	(10)
विज्ञान या इलै इंस्ट्रूमेंटेशन के स (ii) कम्पयूटर उप	न और गणित या सूचना क्ट्रोनिकी और संचार गथ में विज्ञान में बैचलर वि योजन में बैचलर ; या । और संचार या इंस्ट्रूमेंटे ना प्रौद्योगिकी में बी.ई. ;	या इलपट्रागप्त आर डेग्री; या शन या कम्पयूटर विज्ञान		दो वर्ष।
() - 4 - 10 - 9	ना प्राधानिक ने पार्ट ने अौर संचार या इंस्ट्रूमेंटे चना प्रौद्योगिकी इंजीनियर	शन या कम्पयूटर विशान		
2. शारीरिक मानव		<u>क्रॅचाई छाती</u> 5 सें.मी. 77–82 सें.मी.		
सभी अभ्यर्थिय ऊँचाई	यों के लिए न्यूनतम			
मराठा की श्रे अभ्यर्थियों अ अरूणाचल प्र	नाउंनी, गोरखा, डोगरा, 10 णियों में आने वाले रि सिक्किम, नागालैंड, विश, मणिपुर, त्रिपुरा, ग्रालय, असम, हिमाचल	5 सें.मी. 80—85 सें.मी.		
प्रदेश, कश्मी क्षेत्र के लेह	र तथा जम्मू—कश्मीर और लद्दाख से संबंधित हे लिए न्यूनतम ऊँचाई	• .		
सभी अन्य र क्षेत्रों	राज्य और संघ राज्य	170 सें.मी. 80—85 सें.म <u>ी</u>	i.	

वजन : चिकित्सा मानकों के अनुसार ऊँचाई और आयु के आनुपातिक

3. चिकित्सा मानक :

- (क) दृष्टि : सभी दशा से चिकित्सक दृष्टया योग्य होनी चाहिए (दोनों आँखों की दृष्टि बिना सुधार अर्थात बिना चश्मा पहने 6/6 और 6/9)
- (ख) अभ्यर्थियों को संहत जानु, चपटा पॉव, फूली हुई नसें या भैंगी ऑखों वाला नहीं होना चाहिए और उच्च रंग दृश्यता वाला होना चाहिए। उन्हें अच्छे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य का और ऐसे शारीरिक दोष से मुक्त होना चाहिए जिसमें उनके कर्तव्यों के दक्षतापूर्ण पालन में बाधा आने की संभावना हो।
- 4. शारीरिक दक्षता परीक्षण, लिखित परीक्षा और साक्षात्कार में अर्हित होना चाहिए।

(11)

•

(i) 90 प्रतिशत प्रोन्नित द्वारा

(ii) 10 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा

भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल के ऐसे सहायक उपनिरीक्षक (दूरसंचार) में से जिन्होंने उस श्रेणी में छह वर्ष की नियमित सेवा की हो या सहायक उपनिरीक्षक (दूरसंचार) और हैड कांस्टेबल (दूरसंचार) के रूप में दस वर्ष सम्मिलित सेवा की है जिसमें सहायक उपनिरीक्षक (दूरसंचार) की श्रेणी में न्यूनतम एक वर्ष की नियमित सेवा हो

और विभाग द्वारा विहित पूर्व प्रान्नित

(12)

प्रशिक्षण / पाठ्यकम सफलतापूर्वक अर्हित हो।

प्रोन्नित द्वारा

ियण 1 :विद्यमान ए०एस०आई० (ई०डी०पी०) /
ऑकड़ा प्रविष्टि ऑपरेटर की बावत अर्हक पूर्व प्रोन्नित पाठ्यक्रम के उपबन्ध पर जोर नहीं दिया जाएगा।

टिप्पण 2 :- जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अईक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि

उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों महित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

टिप्पण 3 :- प्रोन्नित के लिये न्यूनतम अहर्क सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 01/01/2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को, आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी।

समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नित समिति (प्रोन्नित और पुष्टि के संबंध में विचार करने के लागू नहीं होता। लिए) जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :--

(1) उप महानिरीक्षक, भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल

– अध्यक्ष

(2) कमांडेंट या सेकेन्ड इन कमान्ड, भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल

– सदस्य

(3) उप कमांडेंट (दूरसंचार) या सहायक कमांडेंट (दूरसंचार) भारत तिब्बत सीमा पलिस बल

– सदस्य

(1)	(2)	(3)	(4)	(5))	(6)	(7)
3. सहायक उपनिरीक्षक (दूरसंचार)	51 (2010)* * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', (अराजपत्रित), अननुसचिवीय	वेतन बैंड—1 9300—34800 रू० + ग्रेड वेतन — 2800/— रू०	चयन		लागू नही होता।	लागू नहीं होता।
(8)						<u>(9)</u>	(10)
लाग नहीं हो	लागू नहीं होता।					ही होता।	दो वर्ष।
	(11)					((12)

प्रोन्नति द्वारा शतप्रतिशत प्रोन्नति द्वारा। भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल के ऐसे

हैड कांस्टेबल (दूरसंचार), में से जिन्होंने उस श्रेणी में पांच वर्ष की नियमित सेवा की हो और जो विभाग द्वारा विहित पूर्व प्रोन्नित प्रशिक्षण या पाठ्यक्रम सफलतापूर्वक अर्हित हो।

टिप्पण 1 :- जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पुरी कर ली है. प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतू यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणीं में प्रोन्नति के लिए परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

टिप्पण 2:— प्रोन्नित के लिये न्यूनतम अहर्क सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 01/01/2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को, आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी।

(13)	(14)
विभागीय प्रोन्नित समिति की संरचना (प्रोन्नित के संबंध में विचार करने के लिए) जो निम्निलिखित से मिलकर बनेगी :	लागू नहीं होता।
(1) उप महानिरीक्षक, भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल — अध्यक्ष (2) कमांडेंट या सेकेन्ड इन कमान्ड, भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल — सदस्य (3) उप कमांडेंट (दूरसंचार) या सहायक कमांडेंट (दूरसंचार) — सदस्य भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल	

4 Circlepado						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
5. हैंड	3061	साधारण	वेतन बैंड—1	चयन	लागू नही	10 से 25 वर्ष के बीच
कांस्टेबल	(2010)*	केन्द्रीय सेवा,	5200-20200		होता।	केन्द्रीय सरकार द्वारा
(दूरसंचार)		समूह 'ग',	रू० + ग्रेड			जारी किए गए
,	* कार्यभार	<u>. </u>	वेतन —			अनुदेशों या आदेशों
	के आधार	.(अराजपत्रित),	2400/-			के अनुसार सरकारी
	पर परिवर्तन	अननुसचिवीय	रु0			सेवकों के लिये 5 वर्ष
	किया जा)			-	तक शिथिल की जा
	सकता है।					सकती है।
					-	<u>टिप्पण :</u> आयु–
						सीमा अवधारित करने
						के लिए निर्णायक
				,		तारीख भारत में
						अभ्यर्थियों से आवेदन
					٠.,	प्राप्त करने के लिए
						नियत की गई अंतिम
		<u>.</u>	. ,			तारीख होगी। (न कि
			·			वह अंतिम तारीख जो
						असम, मेघालय,
				,		अरूणाचल प्रदेश,
·			,	•		मिजोरम, मृणिपुर,
						नागालैंड, त्रिपुरा,
						सिक्किम,
				٠		जम्मू-कश्मीर राज्य के
						लदाख खंड, हिमाचल
			:			प्रदेश के लाहोल और
						स्पीति जिले तथा
		ŀ				चम्बा–जिले के पांगी
						उपखंड, संघ राज्य
						क्षेत्र अंदमान और
	. 1			1.		निकोबार द्वीप या संघ
	· .]			राज्य क्षेत्र लक्षद्वीप के
				•		अभ्यर्थियों के लिए
		(5)				विहित की गई है।)
(4) (2) 4		(8)		·	(9)	
		ग विश्वविद्यालय			लागू नही होत	
		तीर्ण जिसमें भौति		ਾ		और
		तिशत अक हो :		,		प्रोन्नति
) वीं कक्षा उतीर्ण				दोनों के
		ट्रौनिकी या विद्युव		में दो		लिए दो
		स्थान का प्रमाण		.		वर्ष ।
		वेज्ञान (पी सी ए				
		न संस्थान से इत				
		तान या सूचना	प्रौद्योगिकी या वि	वेद्युत में		·
तीन वर्ष का रि	डेप्लोमा हो।	•				

2. शारीरिक मानक :

अनुसूचित जनजातियों से संबंधित सभी अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊँचाई <u>ऊँचाई</u> छाती 162.5 सें.मी. 76–81 सें.मी.

गढ़वाली, कुमाउंनी, गोरखा, डोगरा, 165 सें.मी. 78-83 सें.मी. मराठा की श्रेणियों में आने वाले अभ्यर्थियों और सिक्किम, नागालैंड, अरूणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, असम, हिमाचल प्रदेश, कश्मीर तथा जम्मू-कश्मीर क्षेत्र के लेह और लद्दाख से संबंधित अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊँचाई

सभी अन्य राज्य और संघ राज्य 170 सें.मी. 80-85 सें.मी.

वजन : चिकित्सा मानकों के अनुसार ऊँचाई और आयु के आनुपातिक

3. चिकित्सा मानक :

- (क) दृष्टि : सभी दशा से चिकित्सक दृष्टिया योग्य होनी चाहिए (दोनों आँखों की दृष्टि बिना सुधार अर्थात बिना चश्मा पहने 6/6 और 6/9)
- (ख) अभ्यर्थियों को संहत जानु, चपटा पाँव, फूली हुई नसें या भैंगी ऑखों वाला नहीं होना चाहिए और उच्च रंग दृश्यता वाला होना चाहिए। उन्हें अच्छे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य का और ऐसे शारीरिक दोष से मुक्त होना चाहिए जिसमें उनके कर्तव्यों के दक्षतापूर्ण पालन में बाधा आने की संभावना हो।
- 4. शारीरिक दक्षता परीक्षण, लिखित परीक्षा और साक्षात्कार में अर्हित होना चाहिए।
- 5. वृतिक अर्हता : परिवीक्षा की अवधि एक वर्ष तक विस्तारित करने के अधीन रहते हुए परिवीक्षा अवधि के दौरान निम्नलिखित पाठ्यक्रम में अर्हक होना चाहिए:
- (1) नॉन -जनरल डयूटी कार्मिकों के लिए बुनियादि प्रशिक्षण

(2) रेडियो आपरेटर श्रेणी—III

(11) (1) 90 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा।

(2) 10 प्रतिशत कांस्टेबल (दूरसंचार) के प्रोन्नति द्वारा, जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा। (12)

प्रोन्नित द्वारा :- भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल के ऐसे कांस्टेबल (दूरसंचार) में से जिन्होने उस श्रेणी में पॉच वर्ष नियमित सेवा की है और

जो विभाग द्वारा विहित पूर्व प्रोन्निति प्रशिक्षण या पाठ्यकम में सफलतापूर्वक अर्हित हो।

टिप्पण 1 :- जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नित के लिए विचार किया जा रहा हो वहां उनसे ज्येष्ट व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो ।

टिप्पण 2 :- प्रोन्नित के लिये न्यूनतम अहर्क सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 01/01/2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को, आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी।

(13)	(14)
विभागीय प्रोन्नित समिति (प्रोन्नित और पुष्टि के लिए) जो निम्निलखित से मिलकर बनेगी :-	लागू नही
(1) कमांडेंट, भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल - अध्यक्ष	्होता।
(2) सेकेन्ड इन कमान्ड, भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल 📁 सदस्य	
(3) सहायक कमांडेंट (दूरसंचार) - सदस्य	
भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
7. कांस्टेबल	225(2010)*	साधारण	वेतन बैंड-1	लागू नही	लागू नही	18 से 23 वर्ष
(दूरसंचार)	`. ´	केन्द्रीय सेवा,	5200-20200 रू० +	होता।	होता।	के बीच।
	* कार्यभार	समूह 'ग',	ग्रेड वेतन — 2000 ∕ —			केन्द्रीय
·	के आधार		₹50			सरकार द्वारा
	पर परिवर्तन	(अराजप्त्रित),		· .		जारी किए गए
	किया जा	अननुसचिवीय				अनुदेशों या आदेशों के
-	सकता है।					अनुसार
						सरकारी सेवकों
						के लिये 5 वर्ष
						तक शिथिल
						की जा सकती
			· 			है।
						टिप्पण :
						आयु— सीमा
						अवधारित
						करने के लिए निर्णायक
						तारीख भारत
						में अभ्यर्थियों
				: .		से आवेदन
						प्राप्त करने के
			,			लिए नियत की
•						गई अंतिम
						तारीख होगी।
			·	٠.		(न कि वह
						अंतिम तारीख
		,				जो असम,
						मेघालय,
				-		अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम,
						मणिपुर,
						नागालैंड,
		-				त्रिपुरा,
			•			सिक्किम,
						जम्मू—कश्मीर
						राज्य के
	,				,	लदाख खंड,
						हिमाचल् प्रदेश
						के लाहोल और
	,					स्पीति जिले
						तथा
	<u> </u>		<u> </u>	<u> </u>	· .	चम्बा-जिले के

	THE GREET	TE OF INDIA, EA		71111	11.74	d IISec. 2	(./
						पांगी उप संघ राज्य अंदमान निकोबार या संघ	खंड, क्षेत्र और द्वीप राज्य द्वीप धियों
		•				की गई है	
······································	(8)		t	(9)		(10)	,
1. आवश्यकः किसी मान्यताप्रा वांछनीयः किसी औद्योगिक प्र संस्था से डिप्लोमा या प्रमाणप	ग्रीक्षण संस्थान			लागू नहीं होत	11	दो वर्ष।	
2. शारीरिक मानक :		^					
अनुसूचित जनजातियों से सभी अभ्यर्थियों के लिए न ऊँचाई	यूनतम	5 सें.मी. 76—81 ^र				. *	
गढ़वाली, कुमाउंनी, गोरख मराठा की श्रेणियों में आने अभ्यर्थियों और सिक्किम, अरूणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, असम, प्रदेश, कश्मीर तथा जम्मू– क्षेत्र के लेह और लद्दाख अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम	वाले नागालैंड, त्रिपुरा, हिमाचल -कश्मीर से संबंधित	सें.मी. 78-83 र	ॉ.मी.				
सभी अन्य राज्य और संघ क्षेत्रों	राज्य 170	सें.मी. 80-85 र	ॉ .मी.			. •	
वजन : चिकित्सा मानकों आनुपातिक	के अनुसार ऊँचाः	ई और आंयु के					
3. चिकित्सा मानक :	•						
(क) दृष्टि : सभी दशा (दोनों आँखों की दृष्टि पहने 6 / 6 और 6 /	ट बिना सुधार अध		नी चाहिए				-
(ख) अभ्यर्थियों को सहत ऑखों वाला नहीं होना चाहिए। उन्हें और ऐसे शारीरिक कर्तव्यों के दक्षतापूर्ण	होना चाहिए औ अच्छे मानसिक दोष से मुक्त	र उच्च रंग दृश् और शारीरिक र होना चाहिए जि	यता वाला वास्थ्य का समें उनके				
4. शारीरिक दक्षता परीक्षण, वि चाहिए।						·	-

(11)	(12)
सीधी भर्ती द्वारा।	लागू नही
टिप्पण:- पदधारी के प्रतिनियुक्ति या लम्बी बीमारी या अध्ययन छुट्टी या किन्हीं अन्य	होता।
पारिस्थातया में एक वर्ष या इससे अधिक अवधि के लिए बाहर रहने के कारण हुई चिकितां	
कन्द्राय सरकार के ऐसे अधिकारियों में से प्रतिनियक्ति के आधार पर भरी जा सकेंगी अर्थात —	,
(क) जो मूल कांडर या विभाग में नियमित आधार पर सदश प्रवधारण किए हुए हैं र गा	
(ख) जिनके पास स्तंभ (8) के अधीन सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित अर्हता	
और अनुभव है।	
(13)	(14)
विभागीय प्रोन्नित समिति (पुष्टि के लिए) जो निम्निलिखित से मिलकर बनेगी :-	लागू नही
(1) कमांडेंट, भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल — अध्यक्ष	होता ।
(2) सेकेन्ड इन कमान्ड, भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल — सदस्य	
(3) सहायक कमांडेंट (दूरसंचार) - सदस्य	
भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल	

[फा. सं. I-12013/13/2009-संगठन]

एस. सी. शिवाजी राव, उप-सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th December, 2010

G.S.R. 1019(E).—In exercise of the powers conferred by subsection (i) and clause (b) of sub-section (2) of section 156 of the Indo-Tibetan Border Police Force Act, 1992 (35 of 1992) and in supersession of the Indo-Tibetan Border Police Force, Telecommunication Cadre (Group 'A' and 'B' posts) Recruitment Rules, 1999, in so far as they relate to the posts of Inspector(Radio Operator) and Inspector(Radio Technician), the Indo-Tibetan Border Police Force, Telecommunication Cadre(Group 'C' posts), Recruitment Rules, 1999 and the Indo-Tibetan Border Police Force, Electronic Data Processing Cadre (Group 'C' posts) Recruitment Rules, 1999, except as respects things done or omitted to be done before such supersessions, the Central Government hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to Group 'B' and 'C' posts in Telecommunication Cadre in the Indo-Tibetan Border Police Force, namely:—

- 1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Indo-Tibetan Border Police Force, Telecommunication Cadre (Group 'B' and 'C' posts) Recruitment Rules, 2010.
 - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

- 2. Application.— These rules shall apply to the posts specified in column 1 of the Schedule annexed to these rules.
- 3. Number of posts, classification and pay band and grade pay/scale of pay.— The number of said posts, their classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the aforesaid Schedule.
- 4. Method of recruitment, age limit and other qualifications, etc. The method of recruitment to the said posts, age limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (14) of the said Schedule.
- 5. Disqualification.— No person,
 - (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or
 - (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

- 6. Medical Fitness.— Notwithstanding anything contained in these rules, only those persons who are in medical category SHAPE-I, as specified in Health care System in Para-Military Forces, shall be eligible for promotion and appointment under the provisions of these rules.
- 7. Power to relax.— Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect of any class or category of persons.
- 8. Saving.— Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

Schedule

Name of the		Number of	Classificat	ion.	Pay Bar		Whether	Whether	
Post.		Posts.			and Gra	de	selection	benefit of	
	•				Pay or I	Pay	post of	1	
•					Scale.		non-	service	
٠.							selection	admissible	
			·			+	post.	under rule 30	
								of the Central	
								Civil Services	
								(Pension)	
								Rules, 1972.	
(1)		(2)	(3)		(4)		(5)	(6)	
1. Inspector		268*	General		PB-2,		Selection	Not applicable.	
(Telecommunicat	ion)	(2010)	Central		Rs. 930	0-			
		*Subject to	Service Gra	oup	up 34800 plus		·		
		variation	'B' (Non-		Grade Pay				
•	•	dependent	gazetted),		Rs.4600.				
		on	Non-						
·		workload.	Ministerial						
		Age	e limit for di	rect	recruits				
			(7)						
			Not appli						
Educational and		ther age and			iod of			uitment, whether	
other	quali	ifications pre	scribed for			-	by direct recruitment or by		
qualifications	direc	et recruits wi	ll apply in			promotion or by deputation or			
required for	the c	ase of promot	ees.				•	l percentage of	
direct recruits.			-		*			to be filled by	
					various methods.		s.		
(8)	(9)				$(10) \qquad (11)$				
Not applicable.	Not applicable. Not applicable.		-	Not		Ву	promotion	failing which by	
			•	app	licable	depu	utation.		
In case of recrui	tment	by promotion	or deputati	ion/a	bsorption	n. gr	ades from	which promotion	

In case of recruitment by promotion or deputation/absorption, grades from which promotion or deputation/ absorption to be made.

(12)

By Promotion:

From amongst Sub-Inspectors (Telecommunication) of Indo-Tibetan Border Police Force who have rendered five years regular service in the grade and have successfully qualified the prepromotional training/courses prescribed by the department.

Note 1.— The eligibility condition for promotion in respect of Sub-Inspector (Telecommunication), who are holding the post on regular basis, on the date of notification of these rules shall continue to be three years.

Note 2.— Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion their seniors shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.

Note. 3— For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1.1.2006 or the date from which the revised pay structure based on the Sixth Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendation of the Commission.

By deputation:

Personnel from other Central Government Ministries or Departments or Central Police Organisations holding analogous post and having experience in Radiographer or Radio Technician or Cryptography or Cipher and Electronic Data Processing work.

- Note 1.— The departmental officials who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationist shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.
- Note 2.— The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. The maximum age limit for appointment by deputation shall not be exceeding 52 years as on the closing date for receipt of applications.
- Note 3.—For the purpose of appointment on deputation/absorption basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1.1.2006 or the date from which the revised pay structure based on the Sixth Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the Commission.

Deputation/re-employment for ex-servicemen:

The Armed Forces personnel due to retire or who are to be transferred to reserve within a period of one year and having requisite experience and qualification prescribed shall also be considered. Such person would be given deputation terms upto the date of on which they are due for release from the Armed Forces; thereafter they may be continued on re-employment.

IP Departmental Pro composition	motion Comm	ittee exists, what	is its		Circums which	
•					Public	the Unior Service
				.		sion is to be
	•				consulte	d in making
	(12)				recruitm	ent
Group 'B' Departmen	(13)				·	(14)
Group 'B' Department promotion) consisting	of:	1 Committee (fo	r consider	ing	Not appl	icable.
1. Inspector Gener	01 al		.	1		
Indo-Tibetan Bo	ur, Irder Police Es	-	Chairma	an,		4
2. Deputy Inspecto	r General	100	N / 1			
Indo-Tibetan Bo	rder Police Fo	rce	Member			
3. Commandant or	Second in Con	nmand -	Member	.		
Indo-Tibetan Bo	rder Police Fo	rce	Wichioci	,		
 Deputy Comman 	dant (Telecom) or -	Member	.		
Assistant Comm	andant (Teleco	m)		•		Para la la la la la la la la la la la la la
Indo-Tibetan Bo	rder Police Fo	rce				* *
(1)	(2)	(3)	(4)	7	(5)	(6)
2. Sub-Inspector	860*	General	PB-2,	Sele	ection.	Not
(Telecommunication)	(2010)	Central	Rs.			applicable.
	*Subject to	Service,	9300-			11
	variation	Group 'B'	34800	İ .		'
	dependent	(Non-	plus	1		
•	on workload.	gazetted),	Grade	1		
	workidad.	Non-	Pay	1		
•		Ministerial.	Rs.4200			•
	<u> </u>	(7)				
Between 20 to 25 years		(/)	-			

Between 20 to 25 years.

Relaxable for Government servants upto 5 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government.

Note.— The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghlaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Division of Chamba District of Himachal Pradaesh, Andman Nicobar Islands and Lakshadweep).

(i) Bachelors degree in Science with Physics, Chemistry and Mathematics or Information Technology or Computer Science or Electronics and Communication or Electronics and Instrumentation; or (ii) Bachelor in Computer Application; or		(10) Two years	(11) (i) 90% by promotion. (ii) 10% by direct recruitment	
--	--	----------------------	---	--

(in) B.E. in Electronics and Co Instrumentation or Computer Science Information Technology; or	mmunication or or Electrical or		j
(iv) Associate Member of Institution of Communication or Instrumentation or Cor Electrical or Information Technology equivalent.	Computer Science		
Physical Standards: Minimum height for all candidates belonging to Scheduled Tribes	Height Chest 162.5 77-82 Cms Cms	;	
Minimum height for candidates falling in the categories of Garhwalis, Kumaonis, Gorkhas, Dogras, Marathas and candidates belonging to the States of Sikkim, Nagaland, Arunachal Pradesh, Manipur,	165 80-85 Cms		
Tripura, Mizoram, Meghalaya, Assam, Himachal Pradesh, Kashmir and Leh and Ladakh regions of Jammu and Kashmir. All other States and Union Territories	S		
Weight: Proportionate to height and age as p	Cms per medical standards.		
3. Medical Standards:			
(a) Eye sight: Should be medical (Eye sight 6/6 and 6/9 of two correction i.e. without wearing	vo eyes without		
(b) Candidates must not suffer foot, varicose veins or squeshould possess high colour in good mental and bodily any physical defect likely efficient performance of duti	uint in the eyes and vision. They must be health and free from to interfere with the	d e n	
4. Must qualify the physical efficiency t interview.	est, written test an	d	

(12)

By Promotion:

From amongst Assistant Sub-Inspectors (Telecommunication) of Indo-Tibetan Border Police Force who have rendered six years regular service in the grade or ten years combined Head Constable Assistant Sub-Inspector (Telecommunication) and (Telecommunication) with minimum one year regular service in the grade of Assistant Sub-Inspector (Telecommunication) and have successfully qualified the pre-promotional training/courses prescribed by the department.

Note 1.— In case of the existing ASI(EDP)/Data Entry Operator the provision of qualifying

pre-promotional courses shall not be insisted upon.

Note 2.— Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion their seniors shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.

Note. 3— For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1.1.2006 or the date from which the revised pay structure based on the Sixth Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendation of the Commission.

		(13)					14)
Group 'B' De	epartmental	Promotion	Committee	(for	considering	Not appli	cable.
promotion and	confirmation) consisting	g of:-				
1. Deputy I	nspector Ger	neral	-	(Chairman,		
Indo-Tib	etan Border	Police Forc	e				
2. Comman	dant or Seco	nd in Comn	nand -	ì	Member,		
	etan Border						
3. Deputy C	Commandant	(Telecom)	or -	1	Member.		
Assistan	Commandai	nt (Telecom	1)			· .	."
Indo-Tib	etan Border	Police Forc	e			<u> </u>	
(1)		(2)	(3)		(4)	(5)	(6)
3. Assistant Su	b- 51*	(General		ay band-1,	Selection.	Not
Inspector	(201	0)	Central ,	- 1	Rs. 5200-		applicable
(Telecommunic	ation *Sul	J	Service, Grou		0200 plus		ļ
).			'C' (Non-		Grade Pay		
	depe		gazetted), Noi	n- F	Rs.2800.		
	worl	cload.	Ministerial.				
(7)	(8)		(9)		(10)		(1)
Not	Not applic	able. N	ot	Not	applicable.	100% by p	romotion.
applicable.			plicable.			.,.	<u></u>

(12)

By Promotion:

From amongst Head Constables (Telecommunication) of Indo Tibetan Border Police who have rendered five years regular service in the grade and have successfully qualified the pre-promotional training or courses prescribed by the department.

Note 1 .- Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion their seniors shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.

Note. 2— For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1.1.2006 or the date from which the revised pay structure based on the Sixth Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendation of the Commission.

(13)		(14)
Composition of Departmental Promotion Compromotion) consisting of:-	Not applicable.	
1. Deputy Inspector General Indo-Tibetan Border Police Force	- Chairman,	
2. Commandant or Second in Command Indo-Tibetan Border Police Force	- Member,	
3. Deputy Commandant (Telecom) or Assistant Commandant (Telecom) Indo-Tibetan Border Police Force	- Member.	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4. Head Constable (Telecomm- unication).	3061* (2010) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'C' (Non- gazetted), Non- Ministerial.	Pay band-1, Rs.5200-20200 plus Grade Pay Rs.2400.	Selection.	Not applicable.

Between 18 to 25 years.

Relaxable for Government servants upto 5 years in accordance with the instructions/orders issued by the Central Government.

Note.— The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghlaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, the Union territory of Andaman Nicobar Islands or the Union territory of Lakshadweep).

	नरत का राजपत्र : असाधारण		23
,	(8)	(0)	(10)
I may	10+2 pass with Physics, Chemistry and Mathematics ing aggregate of 45% marks in Physics, Chemistry and hematics from a recognized board or university; or	Not applicable.	Two years for direct recruitment.
10 th Indu	Class pass from a recognized board with two years istrial Training Institute certificate in Electronics or ctrical or Computer from a recognized institute; or	·	
10 th and Com Info Insti	Class pass from a recognized board with Science (PCM) with three years Diploma in Electronics or amunication or Instrumentation or Computer Science or rmation Technology or Electrical from a recognized tute.		
2. P	hysical Standards:		-
1	imum height for all candidates 162.5 Cms 76-81 Cms nging to Scheduled Tribes		·
the	imum height for candidates falling in 165 Cms 78-83 Cms categories of Garhwalis, Kumaonis,		·
beloi Naga Tripi	chas, Dogras, Marathas and candidates nging to the States of Sikkim, aland, Arunachal Pradesh, Manipur, ura, Mizoram, Meghalaya, Assam,		
Hima Lada	achal Pradesh, Kashmir and Leh and kh regions of Jammu and Kashmir. ther States and Union Territories 170 Cms 80-85 Cms		
Weig	ht: Proportionate to height and age as per medical standards.		
3.	Medical Standards:		
	(a) Eye sight: Should be medically fit in all respects (Eye sight 6/6 and 6/9 of two eyes without correction i.e. without wearing glasses).	:	
	(b) Candidates must not suffer from knock-knees, flat foot, varicose veins or squint in the eyes and should possess high colour vision. They must be in good mental and		
	bodily health and free from any physical defect likely to interfere with the efficient performance of duties.		
4.	Must qualify the physical efficiency test and written test.		
	Professional qualification: Should qualify the following professional courses during the probation period subject to extension of probation period by one year.		
	 (i) Basic Training for Non-General Duty personnel. (ii) Radio Operator Grade-III. 		

24					
Y		(11)			
(a) (b)	90% by direct recruitment. 10% by promotion of Constable	(Telecommunication))failing	which	by	direct
	recruitment.	(12)			

By Promotion:

From amongst Constable (Telecommunication) of Indo-Tibetan Border Police Force who have rendered five years regular service in the grade and have successfully qualified the pre-promotional training or courses prescribed by the department.

Note. 1— Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.

Note. 2— For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1.1.2006 or the date from which the revised pay structure based on the Sixth Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendation of the Commission.

(13)			(14)
Departmental Promotion Committee (for promotion	and	confirmation)	Not applicable.
consisting of :-	-	Chairman,	
Indo-Tibetan Border Police Force	-	Member,	5
 Second in Command of Deputy Command Indo-Tibetan Border Police Force Assistant Commandant (Telecom) Indo-Tibetan Border Police Force 	•	Member.	
Indo-libetan Bolder Follow			

(1) (2) 7. Constable (225* (Telecommunication) (2010) *Subject to variation dependent on workload.	(3) General Central Service Group 'C' (Non- gazetted) (Non- Ministerial)	(4) Pay band-1, Rs.5200- 20200 plus Grade Pay Rs. 2000/-	applicable.	(6) Not applicable.
--	--	--	-------------	---------------------------

(7)

Between 18 to 23 years.

Relaxable for Government servants upto 5 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government.

Note.— The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghlaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, the Union territory of Andaman Nicobar Islands or the Union territory of Lakshadweep).

islands of the Offich territory of Lakshadw	reep).			
(8)			(9)	(10)
(1) Essential:			Not	Two
Matriculation from a recognis	ed Board or	equivalent.	applicable	years.
Th. 4				·
Desirable:		• . • •		
Diploma or Certificate Course				
Training Institute or any other	r recognised	institution.		
2. Physical Standards:				
2. I nysicai Stailuai us.	Height	Chest		
Minimum height for all candidates belonging to		76-81 Cms.		
Scheduled Tribes.	102.5 Cms.	70-61 Cills.		
Minimum height for candidates falling in the	165 Cms.	78-83 Cms.	-	
categories of Garhwalis, Kumaonis, Gorkhas,	ros ems.	70-05 Ciris.		
Dogras, Marathas and candidates belonging to				
the States of Sikkim, Nagaland, Arunachal		•		
Pradesh, Manipur, Tripura, Mizoram,			ĺ	
Meghalaya, Assam, Himachal Pradesh, Kashmir				
and Leh and Ladakh regions of Jammu and	**	·		
Kashmir.				
All other States and Union Territories.	170 Cms	80-85 Cms		
Weight: Proportionate to height and age as per m	edical standar	ds.		
3. Medical Standards:				
(a) Eye sight: Should be medically i				
	o eyes withou	ut correction i.e.		
without wearing glasses).	·			
(b) Candidates must not suffer fr				
varicose veins or squint in the eyes and				
vision. They must be in good mental				
from any physical defect likely to	interfere wi	th the efficient		
performance of duties.			·	
A 36				
 Must qualify the physical efficiency test and 	l written test.			
			.]	

(11)

By direct recruitment.

Note: Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or by illness or study leave or under other circumstances for duration of one year or more may be filled on deputation basis from officers of Central Government.

- (a) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; or
- (b) possessing the qualification and experience prescribed for direct recruitment under column 8.

	(1)	2)		
	Not app	licable.		
	(13)			(14)
Dep	artmental Promotion Committee (for confirmation)	consistir	ng of:-	Not applicable.
1.	Commandant	-	Chairman,	
	Indo-Tibetan Border Police Force		•	•
2.	Second in Command or Deputy Commandant	-,	Member,	,
	Indo-Tibetan Border Police Force			
3.	Assistant Commandant (Telecom)	-	Member.	•
	Indo-Tibetan Border Police Force	· · ·		

[F. No. I- 12013/13/2009-Org.]

S. C. SIVAJI RAO, Dy. Secy.